

एक नजर में

अंजनीलाल धाम पर
नेत्र शिविर आज



नवभारत न्यूज, ब्यावरा 06 जनवरी, का. श्री अंजनीलाल धाम परिसर में निःशुल्क नेत्र शिविर रखा गया है। मकर सक्रांति पर्व के चलते इस बार मंदिर धाम पर जनवरी माह के पहले बुधवार को शिविर रखा गया है, श्री सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर के सहयोग से लगने वाले शिविर में आंखों का निःशुल्क उपचार एवं ऑपरेशन किए जाएंगे। शिविर में भर्ती मरीजों की जांच ऑपरेशन, भोजन, दवाई आदि का प्रबंध निःशुल्क किया जायेगा। नेत्र रोगी अपना आधार कार्ड साथ लेकर आये।

प्रदेश संयोजक नियुक्त

नवभारत न्यूज, करनवास 06 जनवरी, सं. करनवास निवासी बद्रीलाल यादव (कंडक्टर साहब) को आबीसी महासभा के प्रदेश संयोजक पद पर नियुक्त किया गया है। महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति पश्चात यह नियुक्ति की गई है, नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए समर्पण अनुशासन के साथ संगठन के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इनकी नियुक्ति पर इष्ट मित्रों, मिलने-जुलने वालों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

आवेदक को मिली पांच हजार की आर्थिक सहायता

राजगढ़ 06 जनवरी, का. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा आवेदक सुरेश को रेटक्रॉस से पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई। आवेदक सुरेश ने बताया कि आवेदक की पत्नी और दो बालिकाओं को कूटे ने काट लिया है। आवेदक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आवेदक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है।

स्टार्टअप को प्रति माह 10 हजार रुपये मिलेंगे

राजगढ़ 06 जनवरी, का. मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 24 फरवरी 2025 के बाद स्थापित होने वाले पात्र स्टार्टअप को मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 अंतर्गत 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 12 माह तक सहायता दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र स्टार्टअप को बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान एवं 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है। उक्त सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, राजगढ़ में सहायक प्रबंधक राहुल उडके मो. न. 8818917893 तथा सहायक प्रबंधक रमेश कुमार साहनी मो. नं. 7999037817 से संपर्क किया जा सकता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 11 एवं 12 जनवरी 2026 को रविन्द्र भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट एवं इकोसिस्टम अवार्ड 2026 कार्यक्रम किया जा रहा है। उक्त सहायता एवं कार्यक्रम में भागीदारी के लिए इच्छुक स्टार्टअप पोर्टल पर-आवेदन कर पंजीयन कर सकते हैं।

जिले में 21 वीं सदी का अब तक सबसे ठण्डा दिन, अलाव के आगे नहीं हथेलियां



राजगढ़ ने पचमढ़ी को पछाड़ा

प्रदेश में सर्वाधिक कम तापमान राजगढ़ जिले में आंका गया है

नवभारत न्यूज, ब्यावरा 06 जनवरी, का. मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान एकाएक लुढ़कते हुए 2 डिग्री पर जा पहुंचा जो कि आज प्रदेश में सबसे कम तापमान रहा। राजगढ़ जिला प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। कड़ाके की ठंड ने कैंपकपा दिया। दिन भर ठंड का प्रकोप बना रहा। मौसम विभाग के रिकार्ड अनुसार दो दशक में यह सबसे कम तापमान देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों से जिले भर में ठंड का भारी प्रकोप बना हुआ है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री पर था जिसमें भारी गिरावट होते हुए मंगलवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पर जा पहुंचा। सुबह और शाम के समय ही नहीं दिन भर ठंड का इतना अधिक प्रभाव रहा कि दिन भर अलाव जलते हुए देखे। हालांकि मंगलवार के कुछ समय के लिए धूप अवश्य निकली लेकिन ठंड का प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ।

2 डिग्री तक गिरा पारा

प्रदेश के पांच सबसे कम तापमान वाले शहर

मौसम केन्द्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के पांच सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर इस प्रकार रहे। राजगढ़ 2.0 डिग्री, कल्याणपुर शहडोल 2.8, गिरवर शाजापुर 3.7, मंदसौर एवं भोपाल 3.8 तथा सीहोर का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री रहा।

जो राशन मशीन में वह मौके पर नहीं मिला

राशन में गड़बड़: कलेक्टर के निर्देश पर आपूर्ति अधिकारी ने जिले की 5 सरकारी राशन दुकानों को नोटिस थमाए

नवभारत न्यूज राजगढ़ 06 जनवरी, का. जिले में पीडीएस सिस्टम की सरकारी राशन दुकानों को लेकर लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर द्वारा मामले में कार्यवाही की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जिले में 3 शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह 09 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे समक्ष में उपस्थित होकर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। नियत तिथि पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता को होगी।

प्रकरण-1 कालीपीठ

कनिष्ठी आपूर्ति अधिकारी ब्यावरा द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान कालीपीठ, कोड क्रमांक 3203019, समिति मार्केटिंग खुजनेर के विक्रेता ललित सौंधिया की दुकान को दिनांक 12 अगस्त को भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूँ 00 किलोग्राम एवं चावल 00 किलोग्राम भौतिक रूप से संग्रहित पाया गया, जबकि मशीन में गेहूँ 84,191 किलोग्राम एवं चावल 56,050 किलोग्राम स्टॉक दर्ज पाया गया। इसके अतिरिक्त माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक एडपीडीएस पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार मशीन में सीबी गेहूँ 16,694 किलोग्राम एवं चावल 19,157 किलोग्राम दर्शाया गया। दोनों के बीच भारी अंतर पाए जाने पर विक्रेता द्वारा कोई लिखित दस्तावेज अथवा ऑनलाइन वितरण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण-2 नेसड़ी

कनिष्ठी आपूर्ति अधिकारी राजगढ़ द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान नेसड़ी, कोड क्रमांक 3203083, समिति मार्केटिंग समिति पीपलबे के विक्रेता श्री रामबाबू तंवर की दुकान को दिनांक 16 मई, 2025 को भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूँ 00 किलोग्राम एवं चावल 00 किलोग्राम भौतिक रूप से संग्रहित पाया गया, जबकि मशीन में गेहूँ 33,413 किलोग्राम एवं चावल 27,488 किलोग्राम स्टॉक दर्ज पाया गया। इसके अतिरिक्त माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक एडपीडीएस पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार मशीन में सीबी गेहूँ 17,695 किलोग्राम एवं चावल 9,501 किलोग्राम दर्शाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में यह मात्रा अत्यंत कम पाई गई।

प्रकरण-3 पाड़ल्याखेड़ी

कनिष्ठी आपूर्ति अधिकारी राजगढ़ द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान पाड़ल्याखेड़ी, कोड क्रमांक 3203032, समिति मार्केटिंग समिति बखेड के विक्रेता श्री देवेंद्र शर्मा की दुकान को दिनांक 09 जून, 2025 को भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूँ 1 किलोग्राम एवं चावल 1 किलोग्राम भौतिक रूप से संग्रहित पाया गया, जबकि मशीन में गेहूँ 39,799 किलोग्राम एवं चावल 26,993 किलोग्राम स्टॉक दर्ज पाया गया। इसके अतिरिक्त माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक एडपीडीएस पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार मशीन में सीबी गेहूँ 39,135 किलोग्राम एवं चावल 22,892 किलोग्राम दर्शाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में यह मात्रा अत्यंत कम पाई गई।

प्रकरण-4 बखेड़

कनिष्ठी आपूर्ति अधिकारी राजगढ़ द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान बखेड़, कोड क्रमांक 3203004, समिति मार्केटिंग समिति बखेड के विक्रेता श्री भंवरलाल दांगी दुकान का दिनांक 28 मई, 2025 को भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूँ 0 किलोग्राम एवं चावल 50 किलोग्राम भौतिक रूप से संग्रहित पाया गया, जबकि मशीन में गेहूँ 73,675 किलोग्राम एवं चावल 42,007 किलोग्राम स्टॉक दर्ज पाया गया। इसके अतिरिक्त माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक एडपीडीएस पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार मशीन में सीबी गेहूँ 74,843 किलोग्राम एवं चावल 33,797 किलोग्राम दर्शाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में यह मात्रा अत्यंत कम पाई गई। स्टॉक के कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

इतना भारी अंतर: भौतिक सत्यापन में 2714 किलो और मशीन में 75945 किलो गेहूँ दर्ज पाया गया

शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रेमपुरा (भवानीपुरा), कोड क्रमांक 3203011, समिति मार्केटिंग समिति खुजनेर के विक्रेता श्री महेश दांगी की दुकान का दिनांक 30 जून 2025 को भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूँ 2714 किलोग्राम एवं चावल 4137 किलोग्राम भौतिक रूप से संग्रहित पाया गया, जबकि मशीन में गेहूँ 75,945 किलोग्राम एवं चावल 58,170 किलोग्राम स्टॉक दर्ज पाया गया। इसके अतिरिक्त माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक एडपीडीएस पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार मशीन में सीबी गेहूँ 74,088 किलोग्राम एवं चावल 48,703 किलोग्राम दर्शाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में यह मात्रा अत्यंत कम पाई गई। दोनों के बीच भारी अंतर पाए जाने पर विक्रेता द्वारा स्टॉक के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज अथवा ऑनलाइन वितरण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिला पेंशनर सम्मान 30 को

नवभारत न्यूज ब्यावरा 06 जनवरी, का. डे केयर सेंटर पर प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन शाखा ब्यावरा द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। श्याम सुंदर मिश्रा की अध्यक्षता एवं प्रबोध कुमार गुप्ता, प्रेम सिंह यादव, रामदास चौरसिया के विशेष आतिथ्य में आयोजित बैठक में धारा 49 की समाप्ति व 32 माह के एरीयर के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए वार्षिक जिला पेंशनर सम्मान समारोह 30 मार्च को आयोजित किया जाने की बात कही गई। कैलाश नारायण सुतार द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। शाखा अध्यक्ष कालूराम शाक्यवार द्वारा पेंशनर साथियों का स्वागत अभिन्नदत्त किया गया। माह जनवरी में जन्मे सभी पेंशनर साथियों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर क.एस. भारतीय, नरेंद्र सिंह हाडा,

पी.के. गुप्ता, रामदास चौरसिया, श्रीमती शीला चौरसिया, रामकिशन गौड़, श्याम बाबू शर्मा, मानक चंद गुप्ता, रमेश चंद्र मेवाड़े, मोहन कुमार सोनी, एस.के. सांकेवा, कृष्ण वल्लभ सेन, कैलाश चंद्र साहू, प्रेम सिंह यादव, रमेश चंद्र व्यास, अब्दुल रहमान खान, केदार सिंह भारतीय, प्रबोध कुमार गुप्ता, नरेंद्र सिंह हाडा, दीनदयाल शिवहरे, युसुफ मोहम्मद कुरैशी, घनश्याम दास गौड़, कृष्ण दास अग्रवाल, प्रेम शंकर शाक्यवार, मनमोहन व्यास, मोहनलाल निगम, पुष्कर जोशी, सुनील कुमार शर्मा, हुकुमचंद गहवाल, अशोक पालीवाल, मांगीलाल शर्मा, अमृतलाल वर्मा, श्याम सुंदर टेलर, प्रेम नारायण साहू, गोपाल प्रसाद साहू, कैलाश नारायण सक्सेना, विजय सिंह करोरिया, एस सी तिवारी, कोमल प्रसाद शर्मा पटवारी शामिल रहे।

पुलिस चौकी और सीसीटीवी कैमरे को लेकर बांसवाड़ा के रहवासियों ने विधायक को पत्र लिखा

नवभारत न्यूज, राजगढ़ 06 जनवरी, का. बीते दिनों नगर में डकैती की वारदात के बाद पुलिस ने



आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन बावजूद इसके नागरिकों के जहन से भय अभी दूर नहीं हुआ है। वार्ड क्रमांक 8 बांसवाड़ा के नागरिकों ने विधायक को पत्र लिखकर क्षेत्र में किला परिसर में पुलिस चौकी को फिर से शुरू करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, लाईट लेम्य लगवाने की मांग की है। नागरिकों ने बांसवाड़ा छारबाग ईलाके में वारदात के दौरान जगह नरसिंहगढ़ के तिदौनिया के चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नागरिकों में भय व्याप्त है। नागरिकों ने बताया कि यहां से बाजार नजदीक है। काफी क्षतिग्रस्त है और पगडंडीनुमा है। यहां से मात्र एक दो वाहन ही गुजर पाते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को ले जाने में भी परेशानी होती है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी जर्जर है। इसके अलावा चवरे को लेकर शिकायत की है। नगर से निष्पादित कचरा यहां फेंक दिया जाता है। जिससे यहां आवारा मवेशियों को जमावड़ा लगा रहता है।



व्यवस्था सुधारें, कहीं इंदौर जैसे हालात न बन जाएं

नवभारत न्यूज ब्यावरा 06 जनवरी, का. ब्यावरा नगर पेयजल व्यवस्था बुरी तरह चरमप्राई हुई है। लोगों को कई दिनों तक पानी नहीं मिल पा रहा है, नलों में गंदा दूषित पानी पहुंच रहा है, जो कि गंभीर मामला है। पेयजल व्यवस्था में शीघ्र सुधार करें, वरना नगर में इंदौर जैसे हालात होते निर्मित न हो जाये।

उक्त बात मंगलवार को शाम को कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर को बिगड़े हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर नया प्रशासन को सौंपे जापन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने कही। श्री सिंह ने कहा कि ब्यावरा ही नहीं जिले की कई नगरीय निकाय में पेयजल व्यवस्था के हालात बिगड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नाले, नालियों के यहां से पाइप लाइन गुजरने के चलते सफ्टाई के दौरान कुछ जगह नलों में गंदा पानी पहुंच रहा है। समय रहते इस और गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जगह-जगह पाइप लाइन फूटने से सड़को पर पानी बहता है। उन्होंने समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मामला भी उठाया।

जगह-जगह टूट रही पाइप लाइनें

कांग्रेस पार्टी द्वारा एसडीएम को सौंपे जापन में कहा है कि ब्यावरा नगर में दस करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी। उक्त योजना के तहत पूरे शहर में बिछाई गई पेयजल पाइप लाइनों के पाइप घटिया क्वालिटी के डाले तथा योजना के डीपीआर अनुसार स्वीकृत आकार के पाइप नहीं डाले गये, पाइप लाइन लगातार लीकेज हो रही है। उक्त योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, इसकी जांच कराई जाये। अमानक लाइनों के कारण मैला एवं दुर्गंधयुक्त पानी आ रहा है जिससे नगर में भी इंदौर जैसे हालात निर्मित होने की आशंका है। वर्ष 2014 में पाइप लाइन बिछाने सड़कों को खोदकर जस का तस छोड़ दिया गया। नगर की पाइप लाइनों का व्यापक परीक्षण कर दुरस्त कराया जाये।

कार्यवाही अपर कलेक्टर, एसडीएम सारंगपुर, तहसीलदार पचोर, नायब तहसीलदार तलेन को कारण बताओ नोटिस

लापरवाही पर 2 पटवारी निलंबित, अपर कलेक्टर नपे

नवभारत न्यूज राजगढ़ 06 जनवरी, का. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 'संवाद से समाधान' कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई से पूर्व आयोजित किया जाता है। इस सप्ताह राजस्व विभाग से संबंधित 5 शिकायतों की समीक्षा की गई है। कलेक्टर डॉ. मिश्रा स्वयं प्रत्येक शिकायत को व्यक्तिगत रूप से सुन कर मौके पर ही उसका समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। यह पहल न केवल अधिकारियों में जवाबदेही स्थापित कर रही है, बल्कि आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच सीधा संवाद भी स्थापित कर रही है। 'संवाद से समाधान' ने

आमजन के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास और पारदर्शिता को और मजबूत किया है। मंगलवार को आयोजित संवाद से समाधान कार्यक्रम में शिकायतकर्ता जितेंद्र वर्मा द्वारा बताया गया कि ग्राम मण्डवार तहसील नरसिंहगढ़ खसरा नंबर 2067/1/2/1 में कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर की भूमि है। रकबा की आज दिनांक तक खसरे की नकल ऑनलाईन अपडेट नहीं की गई है। जिससे आवेदक को काफी समस्या हो रही है। कलेक्टर ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कार्य में लापरवाही पर हल्का पटवारी प्रमोद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने व नायब तहसीलदार तलेन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात

दिवस में शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण मेहर द्वारा बताया कि ग्राम बिसौनिया तहसील सुठालिया में आवेदक की भूमि ऑनलाईन प्रभू लाल खसरा नंबर 68/13 में कुल रकबा 6 बीघा भूमि है। आवेदक द्वारा 25 नवम्बर 2020 को तहसील कार्यालय सुठालिया में आवेदन किया गया था परन्तु आज दिनांक तक खसरे की नकल ऑनलाईन अपडेट नहीं की गई है। जिस कारण आवेदक को भूमि ऑनलाईन में कम दिख रही है जिससे आवेदक को काफी समस्याई हो रही है। कलेक्टर ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की जांच में हल्का पटवारी की लापरवाही पाए जाने पर हल्का पटवारी कैलाश

नारायण वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के व तहसीलदार सुठालिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता राजेन्द्र परमार द्वारा बताया गया कि आवेदक चंद्र सिंह व रोशन सिंह खसरा नंबर डू हल्का नंबर 32 में कुल रकबा 16 बीघा भूमि हैं। तहसील कार्यालय में आवेदन किया गया था परन्तु आज दिनांक तक आवेदक की भूमि खसरे में ऑनलाईन अपडेट नहीं की गई है। जिससे आवेदक को काफी समस्याएं हो रही हैं। कलेक्टर ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की जांच में लापरवाही पाए जाने पर अपर कलेक्टर राजगढ़, एसडीएम सारंगपुर, तहसीलदार पचोर को

कारण बताओ नोटिस जारी करने व एसडीएम रीडर सारंगपुर की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता लखन तिवारी द्वारा बताया गया कि आवेदक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। किसान द्वारा किसान सम्मान निधि के पंजीयन की कराया गया था। किसान को काफी समस्या हो रही है। शिकायत की जांच में पता चला की आवेदक की समग्र आईडी दो जगह नरसिंहगढ़ के तिदौनिया व भोजपुर में मेह पोंसे से आवेदक को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर ने हल्का पटवारी तिदौनिया व हल्का पटवारी भोजपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।